मुकदमा — मुकाम
बनाम — देशराज
नं० मुकद्दमा 160 212 — सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/18	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/दस्तावेजात का अवलोकन किया जाया। प्रार्थी का प्रकरण प्रकाश में बनता है। प्रार्थी का निवेदन भी प्रार्थी के हक में उचित प्रतीत होता है। अतः अपनीगिरा को आगामी दिनांक 10/7/18 तक अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि वे हाल आराजी सं० 458, 459 वाकेगांव बिरोंद तह० मुण्डावर जिला अलवर (राज०) में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, अतिक्रमण नहीं करें। रोक की यथास्थिति बनाये रखें। अन्यथा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जावे व कोई अमल हो तो हानि अदालत आम अपना अपना जवाब पेश करें। वादिनी अपनीगिरा वकील प्रार्थी जवाब पेश करें। वादिनी अपनीगिरा वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए० डी० के नोटिस तामील करावें। फरीकैन को अगली पत्रावली दिनांक 10/7/18 को पेश हो। वादिनी पत्रावली दिनांक 10/7/18 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।	
	उपखण्डाधिकारी, मुण्डावर (अलवर) राज०	
10/7/18	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज को पेश के वादी की जाब्ता हो ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही इन्हीं तारीख ड्रॉप कर यह पत्रावली मीनो पेश के वादी की जाती है। स्थगन पूर्व प्रकारिक्का आदेश निरस्त किये जाते हैं। केवल मुकदमा हो। नक्शा के कब्जा वादी वकील [illegible] रहा है।	Note Press. (मुकेश कुमार)
	उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

Scanned by CamScanner